न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी (रैणी)
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस

वाद संख्याः 1/3/2014

1 रामजीलाल पुत्र रामसहाय माली निवासी भूलेरी तहसील रैणी जिला अलवर .....अप्रार्थी/वादी

बनाम्

1. हरबक्श पुत्र रेवडा कौम कुम्हार निवासी थौसडी ..... प्रार्थी/प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल्स 11 व धारा 151
जा0दी0 व बेनामी ट्राजिंक्शन एक्ट 1988

निर्णय दिनांक 03.05.2018

आज यह प्रार्थना पत्र कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी तहसील रैणी पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी/प्रार्थी मूल्याराम की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल्स 11 व धारा 151 जा0दी0 व बेनामी ट्राजिंक्शन एक्ट 1988 पेंश कर निवेदन किया हुआ है कि वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान में अपना वाद इस आशय का पेंश किया है कि वादी की खरीदशुद्वा भूमि ग्राम रहचोली तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। जिस भूमि को वादी द्वारा मूल्या पुत्र रेवडा जो प्रतिवादी संख्या 1 का भाई व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का चाचा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का दादा था से दिनांक 05.06.1991 को 30000/— रूपये में मौखिक रूप से खरीद की थी। जिस भूमि को बाद खरीद से काबिज होकर अपने उपयोग में लेता चला आ रहा है जो भूमि विवादित है। वादी द्वारा उक्त वाद में जो अपनी खरीदशुद्वा भूमि बताई है न तो उस भूमि का कोई खसरा नं0 ही दर्ज किया है और ना ही भूमि की किस्म दर्ज की है। भूमि को मौखिक रूप से खरीदना दर्ज किया है। न्यायालय श्रीमान को केवल राजस्व संबंधी वाद सुनने का ही अधिकार है। इस प्रकार वादी द्वारा पेंशकर्दा वाद विधिवर्जित वाद (वार्ड बाई लॉ) होने के कारण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी /प्रतिवादी स्वीकार कर वादी का वाद विधि वर्जित होने के कारण ऑर्डर 7 रूल 11 धारा 151 जाब्ता दिवानी व बेनामी ट्रॉजिंक्शन एक्ट 1988 के तहत खारिज करने का निवेदन किया।

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश हुई।पत्रावली का अवलोकन किया गया।प्रार्थी/प्रतिवादी मूल्या व वाादी रामजीलाल उपस्थित आये।अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कोई जवाब पेश नहीं किया गया हैं।जैसा कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल्स 11 व धारा 151 जा0दी0 व बेनामी ट्राजिंक्शन एक्ट 1988 में प्रार्थी /प्रतिवादी मूल्या द्वारा निवेदन किया है कि वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान में अपना वाद इस आशय का पेंश किया है कि वादी की खरीदशुद्वा भूमि ग्राम रहचोली तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। जिस भूमि को वादी द्वारा मूल्या पुत्र रेवडा जो प्रतिवादी संख्या 1 का भाई व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का चाचा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का दादा था से दिनांक 05.06.1991 को 30000/— रूपये में मौखिक रूप से खरीद की थी। जिस भूमि को बाद खरीद से काबिज होकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने उपयोग में लेता चला आ रहा है जो भूमि विवादित है। वादी द्वारा उक्त वाद में जो अपनी खरीदशुदा भूमि बताई है न तो उस भूमि का कोई खसरा नं0 ही दर्ज किया है और ना ही भूमि की किस्म दर्ज की है। भूमि को मौखिक रूप से खरीदना दर्ज किया है। न्यायालय श्रीमान को केवल राजस्व संबंधी वाद सुनने का ही अधिकार है। इस प्रकार वादी द्वारा पेंशकर्दा वाद विधिवर्जित वाद (वार्ड बाई लॉ) होने के कारण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। जैसा कि वादी के वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वार वाद पत्र इस न्यायालय में पेश कर इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ चाही गई है परंतु उक्त वाद पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट साबित होता है कि वादी द्वारा आराजी विवादित बाबत् कोई खसरा नम्बर,रकबा वाद पत्र में अंकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा आराजी विवादित को रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद होना भी अंकित नहीं किया है वादी द्वारा आराजी को मात्र मौखिक खरीद करना वाद पत्र में दर्शाया है इस प्रकार उक्त प्रकरण पर उक्त तथ्यों के आधार पर वादी को वर्तमान या भविष्य में इस न्यायालय द्वारा कोई रिलिफ दिया जाना साबित नहीं होता हैं। वादी का वाद पत्र स्पष्ट हेतुक प्रकट भी नहीं करता है।इसलिए आर्डर 07 रूल 11 सी.पी.सी के प्रावधान उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होते है।इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण पर आर.आर.डी. 1984 पेज 227–229,आर.आर.डी.1991 पेज 209–2011व आर.आर. डी2002 पेज 582–583 की नजीर भी इस वाद पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है क्योंकि वादी आराजी विवादित का मुताबिक वाद रिलिफ वर्तमान या पूर्व में खातेदार कास्तकार,मालिक ,खुद कास्तकार ,गैर खातेदार भी नही हैं।वादी मुताबिक वाद पत्र आराजी विवादित को प्रतिवादी से बेचान मौखिक आधार पर ही प्राप्त करना बताता है। इस प्रकार वादी को वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर मौखिक बेचान के कथनों पर वर्तमान या भविष्य में रिलिफ इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी /प्रतिवादी स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल्स 11 व धारा 151 जा0दी0 व बेनामी ट्राजिंक्शन एक्ट 1988 का स्वीकार किया जाता है वाद वादी खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट भूलेरी (रैणी) पर जाकर लिखाया जाकर सुनाया गया।ह

(सोहनराम चौधरी R.AS)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)
कैम्प कोर्ट भूलेरी (रैणी)